न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
22/2021	01/04/2021	25.11.2025

भगवतीप्रसाद पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(प्रार्थी)

बनाम

1– राज. राज्य जयें तहसीलदार पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(अप्रार्थी)

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा (251 ए) आर0टी0एक्ट0

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम डडवाडा पटवार क्षेत्र नोटिस ख.न. 519 रकबा 1.72 है0 गै० मु० तलाई मे अन्य लोगो के साथ निवास करतां हुआ आ रहा है। प्रार्थी के पास निवास का एकमात्र साधन उक्त आवास है प्रार्थी के अतिरिक्त लगभग तीस अन्य लोगो के आवास उक्त वर्णित भूमि पर अवस्थित है। उक्त आवास पर आवागमन हेतु समीपवर्ती खसरा न. 497 रकबा 0.60 है० मे होकर मुख्य सडक ख.न. 450 गै० मु० रास्ता से प्रार्थी आवेदक द्वारा प्रयोग में लिया जाता आ रहा है। प्रार्थी विगत बीस से भी अधिक वर्षो से उक्त वर्णित रास्ते को प्रयोग में लेता आ रहा है। उक्त मार्ग पर प्रार्थी स्वय अथवा कृषि उपकरण इत्यादि ले जाता आ रहा है। किन्तु विगत कुछ समय से कतिपय अतिक्रमीगणो द्वारा प्रार्थी का उक्त वाछिंत मार्ग बाधित करने एंव उक्त वाछितं स्थल पर जबरन मकानात बनाने का प्रयास किया जाने लगा है। उक्त अतिकर्मीयो को निषेधित किया जाकर प्रार्थी के आवास की उपलब्धता सुनिश्चत किया जाने हेतु प्रार्थी के वर्तमान स्थल ख.न. 519 से ख.न. 497 मे होकर ख.न. 450 आम सडक तक रास्ता घोषित किये जाने हेतु तदर्थ यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। उक्त भूमि चूंकि सभी भूमियों सरकारी भूमि है. सुप्रीम लेण्ड होल्डर की हेसियत में राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार महोदय पीपल्दा को अनेक बार निवेदन करने के उपरान्त भी उनके द्वारा प्रार्थी के वाछित स्थल को मार्ग घोषित किये जाने में असमर्थता एंव टालमटोल किये जाने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड़ा है। इसी सन्दर्भ में

प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित राजस्व प्राधिकारीगणो से निवेदन किया जाने पर भू०अभि० निरीक्षक वृत गैता द्वारा विगत दिनांक 23.03.2021 को मौका निरीक्षन रिर्पोट द्वारा प्रार्थी का रास्ता बाधित होने एंव उक्त स्थल को प्रार्थी का रास्ता होने बाबत तथ्यो को वर्णित किया है। यदि उक्त स्थल को प्रार्थी को मार्ग घोषित नही किया जाता है तो अतिक्रमीगण उक्त स्थल पर जबरन मकानात आदि का निर्माण कर लेंगे, ऐसी अवस्था में प्रार्थी को अपने मकान मय बाडे में वचिंत होना पड जावेगा। प्रार्थी उक्त वांछित स्थल को रास्ता घोषित किया जाने हेतु व्यय एवं अधिरोपित राशि जमा करने हेतु तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा वांछित मार्ग हेतु ग्राम डडवाडा पटवार क्षेत्र नोनेरा तहसील पीपल्दा मे प्रार्थी के वर्तमान आवास ख.न. 519 से प्रार्थी के आवास से ख.न. 497 में से होकर मुख्य सडक ख.न. 450 तक रास्ता आम सशूल्क घोषित किया जाकर अप्रार्थी कम 2 आई.एल.आर. गैंता से तदनुसार रिर्पोट मय एस्टीमेट तलब किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड एंव राजस्व नक्शे मे तदनुसार रास्ता आम तरमीम किया जाने हेतु अप्रार्थी कम 1 तहसीलदार महोदय पीपल्दा को आदेशित फरमाया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री हेमन्त शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने ग्राम डडवाडा के ख0नं0 519 रकबा 1.72हे0, गैर मुमकिन तलाई में स्थित अपने मकान पर पहुंचने के लिए ग्राम इटावा के ख0नं0 497 रकबा 0.60हे0 सिवायचक भूमि में से मुख्य सडक से घर तक आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रावधान खातेदार को अपनी जोत में पहुंचने हेतु रास्ता देने के लिए है। प्रार्थी खातेदार नहीं है। स्वयं अतिचारी है। अतिचारी को रास्ता दिए जाने से अतिचार और पुख्ता होगा और अतिचारी को बल मिलेगा। अतः प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा